संलग्न –1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं.....(छात्र का पूरा नाम,प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/ श्रीमती/ ..... (संस्था का नाम).....में प्रवेश हो चुका हैं या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिये यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढा और पूर्णतः समझा।

मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैंगिंग किस प्रकार की होती हैं के प्रति सजग हुआ। मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैंगिंग को बढावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षडयंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती हैं।

मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि–

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैंगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका–3 रैंगिंग के अंतर्गत अपराध को बढावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

(स) मैं किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय में कार्यरत नहीं हूं और न ही मुझे किसी भी प्रकार का मान देय प्राप्त होता हैं।

मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैंगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती हैं।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिये वर्जित किया गया न ही रैंगिंग जैसे अपराध को बढावा देने में सहायता करने या षड़यत्र में अपराधी पाया गया/गयी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती हैं तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं। घोषणा की दिनांक.....माह.....वर्ष..... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं और कोई भी तथ्य असत्य नहीं हैं तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं ।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष.....
को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

संलग्न–2

माता–पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कु. .....

(माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम).....

(छात्र का पूरा नाम,प्रवेश,पंजीयन/नामांकन संख्या सहित).....

.....

(संस्था का नाम).....में प्रवेश हो चुका हैं, पुश्टि करता हूँ कि मुझे रैंगिंग अपराधों को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विषेशतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैंगिंग क्या हैं से अवगत हुआ।

3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैंगिंग को बढावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती हैं।

4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि–

   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैंगिंग अपराध में संम्मिलित नहीं होगा जो कंडिका–3 के अंतर्गत आता हैं।

   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका–3 के अंतर्गत रैंगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिश्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैंगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती हैं।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैंगिंग के अपराध के कारण देश के किसी भी संस्था से न तो निश्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा की दिनांक.....माह.....वर्ष..... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नम.....

पता.....

फोन/मो.नं. .....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष.....
को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

मैं ---------- पिता/माता ----------

कक्षा ---------- विभाग/छात्रावास ----------

घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा / रहूंगी। मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया जाता /जाती हूँ, तो मैं दण्ड का भी भागी रहूंगा / रहूंगी।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा / होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएं ज्ञात है, यदि मेरा पाल्य के किसी प्रकरण में लिप्त पाया जाता / जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से मैं सहमत रहूंगा / रहंगी।

पिता / माता अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप : यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सहीं नहीं पाए गए तो छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंक के अन्तर्गत -

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचारण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने के लिये कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यता नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिये खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिये कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोककर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरुप :-

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :-

स्पष्ट आदेश :-

- सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियरों के लिए क्लास नोट उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए
- नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
- शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ, वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित-करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिये बाध्य करना, जिसमें शरीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है
- नंगा करना चुंबन लेना आदि, अन्य अश्लीलताएं करना।
- उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रुपों से युक्त हैं।

रैगिंग का स्वरुप :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/- तक